न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

मैनुअल प्र.सं. : 29 / 2023

जीसीएमएस : 2023 / 189

1. विकास बाना पुत्र श्री प्रेमचन्द्र जाति जाट साकिन ठाकरी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। —:प्रार्थी

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र श्री नानूराम जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर। —:अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तारीख रजू:—05.06.2023

उपस्थितः—

1. श्री हेतराम बिश्नोई अधि. प्रार्थीगण।
2. एकपक्षीय कार्यवाही अप्राथी सं. 1

—निर्णय—

दिनांक 19.09.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारी जोत वाके चक 30 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 5/6 मु. नं. 27 प.नं. 202/314 के कि.नं. 4 ता 7 प्रत्येक में 0.253 है. कुल 1.012 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो प्रार्थी के कब्जा काश्त में है। चक 30 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 27 पं.नं. 202/314 के कि.नं. 15—16—25 में वांछित रास्ता की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 सुरजाराम के नाम से है जिस भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता हूँ तथा वांछित स्वीकृति रास्ता से आवागमन में सरलता होगी जो रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे। जो रास्ता आवाजाही के लिए सरल, सुगम रास्ता है जिसे स्वीकृत किए जाने वाले रास्ता की भूमि के बदले प्रार्थी डी.एल.सी. दर पर कीमत अदा करने के लिए सहमत है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि.एडी नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्राथी सं. 1 स्वयं हाजिर नही होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/679 दिनांक 08.05.2024 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी विकास बाना पुत्र प्रेमचंद जाति जाट साकिन ठाकरी द्वारा अपने रकबा चक 30 एनपी प.नं. 202/214 मु.नं. 27 के कि.नं. 4 ता 7 कुल रकबा 1.012 है. नहरी में आवागमन हेतु चक 30 एनपी के पं.नं. 202/314 मु.नं. 27 के कि.नं. 15—16—25 में रास्ता की मांग की गई है। अप्रार्थी के नाम चक 30 एनपी के प.नं. 202/314 मु.नं. 27 के कि.नं. 11 ता 25 रकबा 3.670 है. नहरी भूमि सुरजाराम पुत्र नानूराम जाति जाट साकिन ठाकरी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है व रकबा रहन है। मौके पर चक 30 एनपी के मु.नं. 27 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 0.025 है. गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत है। इसी रास्ते से अन्य मुरब्बों के लिये आवागमन होता है। उक्त मु.नं. 27 कि कि.नं. 15—16—25 के खातेदार सुरजाराम पुत्र नानूराम जाति [illegible] ठाकरी ने रास्ता स्वीकृति हेतु असहमती जाहिर की किन्तु वादी काश्तकार [illegible] को अपनी उक्त कृषि भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई [illegible] रास्ता की उप[illegible] नहीं है अतः प्रार्थी की मांग अनुसार भूमि में आवागमन हेतु चक 30 [illegible] 202/314 मु.नं. 27 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:54:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

कि.नं. 15–16–25 प्रत्येक में 0.013 है. कुल 0.039 है. पूर्वी पारा में रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है। मुताबिक रिकार्ड कोई वाद –स्थगन आदि नहीं है।

4. बहस वकील प्रार्थी की सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौराया एवं कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है अप्रार्थी को जरिये रजि. नोटिस एवं मौका रिपोर्ट के समय उपस्थित होने के उपरान्त भी इस न्यायालय में हाजिर होकर कोई एतराज भी प्रस्तुत नहीं किया है सरकार की तरफ से मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता एवं विकल्प नहीं है प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जावे है।

5. हमने प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता, की बहस सुनकर व समझकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर व, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि इसी चक 30 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 27 पं.नं. 202/314 के कि.नं. 15–16–25 रास्ता दिया जाना उचित है। इसी रास्ते से अपनी भूमि में आवागमन कर सकता है। इस रास्ते के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। प्रार्थी को अपनी भूमि में प्रवेश के लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है अतः प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग अतिआवश्यक है और प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग स्वयं की सुविधा मात्र के नहीं है। यह प्रार्थीगण की आत्यांतिक श्रेणी में आता है। उक्त वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपनी मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है अतः प्रार्थना पत्र 251 क प्रार्थी का स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर इसी **चक 30 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 27 पं.नं. 202/314 के कि.नं. 15–16–25 प्रत्येक में 0.013 है.कुल 0.039 है. को गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत कर रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है।** अतः तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त रास्ते में आने वाली भूमि के बदले कुल 0.039 है. भूमि प्रार्थी विकास बाना के मु.नं. 27 के कि.नं. 6–7 में 0.039 है. चिपती भूमि सुरजाराम पुत्र नानूराम के नाम दर्ज करे। इसके पश्चात ही गैरमुमकिन रास्ता कायम करे एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। इस आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
(सुभाष चन्द्र)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला अनूपगढ़,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक **19.09.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला अनूपगढ़,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:54:05 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner